151 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिकारिता—अन्य लाभ अर्जक सरकारी उद्यमों की प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को पूंजी व्यय करने के लिए सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में इस विभाग के 6 मई, 1997 और 8 अक्तूबर, 1998 के का ज्ञा.सं. डी पी. ई/16 (22)/90—वित्त का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ली गई शपथ को देखते हुए कि प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत लाभ अर्जित करने वाली सफल कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायता सौंपी जाएगी, सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले अन्य सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को इस समय प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा की है और नीचे वर्णित तरीके से शक्तियों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है :

(i) सरकार के अनुमोदन के बिना पूंजीगत व्यय करने की शक्ति संशोधित कर 150 करोड़ रूपए अथवा निवल मूल्य के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, की जाती है।

(ii) सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक को प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए आपातस्थिति में 5 दिनों की अवधि तक कार्यात्मक निदेशकों के व्यावसायिक विदेशी दौरों (अध्ययन दौरों, सेमिनार आदि से भिन्न) को अनुमोदित करने की शक्ति होगी। मुख्य कार्यपालक सहित अन्य सभी मामलों में विदेश दौरा के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

3. ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित शर्तें और दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. संबंधित प्रशसनिक मंत्रालय/विभाग इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु की जानकारी उद्योंगों को दें।

(लो.उ.वि. का 5 अगस्त, 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(24)/2003 – जी एम जी एल–66)